

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 430]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2014—भाद्र 21, शक 1936

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
सूचना

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-78-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(2) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (1) कलेक्टर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
- (2) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर, मध्यप्रदेश.
- (3) आयुक्त, नगर निगम, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख अर्थात् 12 सितम्बर 2014 से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2014

क्र. एफ-3-78-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-78-2011-बत्तीस, दिनांक 12 सितम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

## NOTICE

Bhopal, the 12th September 2014

No. F-3-78-2011-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Gwalior (Planning Area) 2021 under sub-section (2) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

- (1) Collector, Gwalior, Madhya Pradesh.
- (2) Joint Director, Town & Country Planning, Distt. Office Gwalior, Madhya Pradesh.
- (3) Commissioner, Municipal Corporation Gwalior, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date 12th September 2014 of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under Section 19(5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.